xviii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरूद्व ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नही होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति मे बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्व होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

xix. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

xx. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत् है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग–पत्र देकर नव–नियुक्ति के समय त्याग–पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

xxi. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नही होगा।

xxii. आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

21. <u>आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम</u>:–आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा गें अनुचित राधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। **परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न–पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।**

22. वाहन चालक के पदों हेतु लिखित परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :–

<u>वाहन चालक की परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम</u>

क.सं.	विषय	प्रश्न–120 अनुमानित प्रश्न सं[illegible]	समय

RajKaj Ref
12375488
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:59:50 IST
Reason: Approved

1	सामान्य हिन्दी	**30**	
2	सामान्य अंग्रेजी	**15**	
3	**सामान्य ज्ञान :–**	**50**	
	भूगोल	10	
	इतिहास, कला एवं संस्कृति (राजस्थान)	10	
	भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था	10	**2 घंटे**
	सामान्य विज्ञान	05	
	सम–सामयिक घटनाएं	10	
	बेसिक कम्प्यूटर	05	
4	सामान्य गणित	**25**	
	कुल	**120**	

Pattern of Question Papers:

1. Objective Type Question Paper.
2. Maximum Marks: 200
3. Number of Questions: 120
4. Duration of Paper: Two Hours.
5. All Questions carry equal marks.
6. Negative Marking. 1/3 mark will be deducted for each wrong answer.
7. The minimum qualifying marks shall be as per Departmental Rules.
8. The standard of the paper will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan.

पाठ्यक्रम

क्र.स.	विषय विवरण
1.	**सामान्य हिन्दी** संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि– अर्थ, प्रकार एवं संधि–विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द– शुद्धि, वाक्य शुद्धि (वर्तनी सम्बन्धित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से सम्बन्धित अशुद्धियाँ), काल के प्रकार (भेद), मुहावरे एवं लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान (यथा कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्द्धशासकीय पत्र इत्यादि)।
2.	**English** Tenses / Sequence of Tenses, Voice : Active and Passive, Narration : Direct and Indirect, Transformation of Sentences: Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and Vice-Versa, Correction of sentences, words wrongly used, Use of articles and determiners, prepositions, punctuation, Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and Vice-Versa, Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).
3.	**भूगोल** राजस्थान:– स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, जनसंख्या– आकार, वृद्वि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि। **Geography** Rajasthan- location, extent, physiography and physical division, soil, natural vegetation and forest conservation, climate, water resource, drainage system and lakes, major irrigation projects, population-size, growth, distribution, density, sex ratio and literacy, transport of Rajasthan & state roads, DisasterManagement & Climate Change etc.

RajKaj Ref
12375488
Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:59:50 IST
Reason: Approved

राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति

ऐतिहासिक घटनाएँ, स्वतंत्रता आन्दोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले और त्यौहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ इत्यादि।

History, Art and Culture of Rajasthan

Main historical events, freedom movement, integration, important personalities, language and literature, folk culture and social life, costumes, musical instruments, folk deities, folk literature, dialects, fair & festivals, ornaments, folk art, architecture, folk music, dance, theatres, tourist places and monuments, celebrities of rajasthan from historical and cultural point of view etc.

भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीति रू राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा: मुख्य सचिव, जिला प्रशासन (सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन), जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि।

Indian Constitution and political and administrative system with special reference to the state of Rajasthan.

Introduction and basic features of the Constitution, State governance and politics - Governor, Chief Minister and Cabinet, Legislative Assembly and Judiciary, Administrative structure of the state: Chief Secretary, District Administration (General Administration and Police Administration), Judicial Structure at the District Level, Right to Information Act etc.

सामान्य विज्ञान

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर : संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन

General Science

Physical and chemical changes, Metals, non-metals and major compounds, Reflection and laws of light, General terminology related to genetics, Human body: structure, organ systems, Major human diseases, causes and diagnosis, waste management.

प्रमुख सम–सामयिक घटनाएं

खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधी मुद्दे इत्यादि। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे,प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि।

Major current events

Issues related to sports, politics, economy, social, geographical, cultural, ecological and technical fields etc, State & national issues, Famous personalities, State& national program and policy etc.

कंप्यूटर

कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन – हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर – ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि।कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन –एमएस वर्ड, एमएस एक्सल, एमएस पॉवर पॉईट,इंटरनेट, ईमेल इत्यादि।

Computer

Overview of computer system- hardware devices, software – operating system and application software etc .Overview of office applications – MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet, E-mail etc.

4. **गणित**

महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य, औसत, लाभ–हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात–समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, चाल एंव दूरी, ऑकडों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि।

Maths

Hcm&Lcm, average, profit-loss, percentage, simple interest, compound interest, ratio-proportion, partnership, time and work, time, speed and distance, representation of data through pictures etc.

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पॉचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये है :–

1.प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेगें। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से [illegible] गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।

RajKaRes
12375488

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:59:50 IST
Reason: Approved

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2.प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।

It is mandatory to fill only one of the options for each question.

3.यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेगें।

If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkend, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4.प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।

After solving question paper, candidate must ascertain that he\she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5.जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नो को किन्ही पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualifed.

23. <u>बोर्ड की वेबसाईटः</u>—अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाईटएवं **<u>www.rssb.rajasthan.gov.in</u>** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(डॉ. बी.सी. बधाल)
सचिव

RajKaj Ref
12375488

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:59:50 IST
Reason: Approved